सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण देहरादून, रविवार, 30 मार्च, 2003 ई0 चैत्र 09, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन सिंचाई विभाग संख्या 165/नौ–1–सि0 (स्थापना)/2003 देहरादून, 30 मार्च, 2003

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों को अतिक्रमित करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, सिंचाई विभाग, अनुसचिवीय सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

सिंचाई विभाग, उत्तरांचल अनुसचिवीय सेवा (समूह "ग") नियमावली, 2003

भाग एक - सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) यह नियमावली "सिंचाई विभाग, उत्तरांचल अनुसचिवीय सेवा (समूह ग) नियमावली 2003" कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति-

सिंचाई विभाग, उत्तरांचल अनुसचिवीय सेवा एक अधीनस्थ अनुसचिवीय सेवा है।

3. परिभाषायें-

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में -

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे ऐसी नियुक्ति करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाये ;
- (ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग—दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये :
- (ग) "सिमति" का तात्पर्य ऐसी चयन सिमति से है जिसका गठन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो :
- (घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है ;
- (ड.) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है ;
- (च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है ;
- (छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के अपने—अपने संवर्ग में किसी पद पर एक नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से हैं;
- (ज) "सेवा" का तात्पर्य अनुसचिवीय सेवा (सिंचाई विभाग) समूह "ग" सेवा में है ;
- (झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो ;
- (ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है ;
- (ठ) "मण्डल" का तात्पर्य सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय संस्थान से है ;
- (ड) "खण्ड" का तात्पर्य सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय अथवा समकक्ष संस्थान से है।

भाग दो - संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग

- (1) सेवा के तीन संवर्ग होंगे -
 - (क) मुख्य अभियन्ता संवर्ग

- (ख) मण्डलीय संवर्ग एवं
- (ग) खण्डीय संवर्ग
- (2) प्रत्येक संवर्ग के सेवा की सदस्य संख्या और उसमें विभिन्न पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।
- (3) जब तक उपनियम (2) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें विभिन्न श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट में दी गयी है:

परन्तु -

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थिगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भाग तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत —

सेवा में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगी -

- (1) 80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती उत्तरांचल के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र आंमत्रित कर।
- (2) 15 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग के समूह 'घ' सेवा के हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, अन्यथा पात्र, कार्मिकों की पदोन्नति द्वारा।
- (3) 5 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग के समूह 'घ' के इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा 10+2 परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, अन्यथा पात्र, कार्मिकों की पदोन्नति द्वारा।
- (4) सेवा के अन्य पदों में भर्ती पदोन्नित द्वारा परिशिष्ट के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायेगी।

6. आरक्षण -

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार – अर्हताएं

7. राष्ट्रीयता –

सेवा के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी -

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अक्रीकी देश केन्या, युगाण्डा या यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिको और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया है ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यकता प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता –

- (1) कनिष्ठ लिपिक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यून्तम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, तथा
- (2) अभ्यर्थी हिन्दी (देवनागरी लिपि) में टंकण की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है।

9. अधिमान्य अर्हताएं –

(1) अंग्रेजी टंकण और / अथवा कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अन्य बातें समान होने पर सेवा में भर्ती होने के सम्बन्ध में अधिमान दिया जायेगा।

(2) इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी, जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और / अथवा नेशनल कैंडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, को अन्य बातें समान होने पर सेवा में भर्ती के सम्बन्ध में अधिमान दिया जायेगा।

10. आयु -

- (1) सेवा में विभिन्न वर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को 21 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु—सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
- (2) किसी ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो विभाग में किनष्ठ लिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करें, को उच्चतम आयु—सीमा में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है, जितने वर्ष उक्त अभ्यर्थी ने विभाग में सेवा पूरी कर ली हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी दशा में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. चरित्र –

सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र अनिवार्यतः ऐसा होना चाहिए कि वह सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में अपना समाधान कर ले।

टिप्पणी — संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम / निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।

12. वैवाहिक प्रास्थिति –

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा कोई पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो : परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता –

कोई भी व्यक्ति सेवा से सदस्य के रूप में केवल तभी नियुक्त किया जायेगा जबिक उसका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसके कारण उसे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थी की सेवा में अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्त हस्त—पुस्तिका खण्ड—2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 10 के अधीन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

भाग पांच - भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों की अवधारणा -

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम—6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया -

- (1) इस सेवा के किनष्ठ लिपिक के पदों की सीधी भर्ती के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा / साक्षात्कार हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार एक सिमिति का गठन किया जायेगा:-
 - (क) अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक) अध्यक्ष
 - (ख) अधिशासी अभियन्ता सदस्य
 - (ग) अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के एक अधिकारी सदस्य
- (2) सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की सूचना सिमिति के अध्यक्ष द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें जिनके नाम उत्तरांचल स्थित विभिन्न सेवा योजन कार्यालयों में पंजीकृत हों।

- (3) यदि सीधी भर्ती उक्त उप—प्रस्तर 5(2) एवं 5(3) के अनुरूप विभाग के समूह "घ" के अभ्यर्थियों से की जानी हो तो समिति के अध्यक्ष द्वारा समस्त विभागीय पात्र अभ्यर्थियों से उचित माध्यम द्वारा आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जायेगें।
- (4) सिमति द्वारा उक्तानुसार (2) एवं (3) के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा / साक्षात्कार पृथक—पृथक लिया जायेगा जिसमें निम्नांकित विषय होगें :—

अ. सामान्य ज्ञान 15 अंक

ब. हिन्दी आलेखन 15 अंक

स. हिन्दी टंकण 15 अंक

द. साक्षात्कार ०५ अंक

योग 50 अंक

(5) सिमिति द्वारा अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता—क्रम में जैसािक लिखित परीक्षा और सिक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार की जायेगी और विभाग में विद्यमान रिक्तियों की संख्या के समतुल्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर—बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

16. पदोन्नित द्वारा भर्ती की प्रक्रिया -

- (1) इस सेवा के पदोन्नित के सभी पदों पर भर्ती हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा :—
 - (i) अधिष्ठान का प्रभारी मुख्य अभियन्ता अध्यक्ष
 - (ii) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (विभागाध्यक्ष) सदस्य
 - (iii) अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक) संयोजक
 - (iv) अनुसूचित जाति एवं जनजाति का एक अधिकारी सदस्य
- (2) संयोजक अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और पदोन्नति हेतु विचाराधीन कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं एवं उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों, जो उचित समझे जायें, के साथ चयन समिति के समक्ष प्रोन्नति पर विचार हेतु रखेगा।

- (3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और गुणावगुण के आधार पर निकृष्ट को छोड़ते हुए श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नित हेत् कार्मिकों का चयन करेगी।
- (4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

17. संयुक्त चयन सूची -

(1) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नित दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नित द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

उच्च वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्न वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगें।

भाग छः – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति –

मौलिक रिक्तियां उपलब्ध होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्नानुसार करेगें।

- (1) नयी नियुक्ति हेतु चयन सिमिति द्वारा उपनियम 15(5) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में से विभागाध्यक्ष द्वारा वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों को क्रमशः मुख्य अभियन्ता संवर्ग, मण्डलीय संवर्ग एवं खण्डीय संवर्ग में नियुक्त करने हेतु आवंटित किया जायेगा।
- (2) मुख्य अभियन्ता संवर्ग एवं मण्डलीय संवर्ग में नियुक्ति / पदोन्नित / पदस्थापना सम्बन्धी आदेश मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के स्तर से तथा खण्डीय संवर्ग में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, जिनके अधीन पद रिक्त हैं, के स्तर से जारी किये जायेगें।
- (3) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नित दोनों द्वारा की जानी है, वहाँ नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम–17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।
- (4) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख,

ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसािक यथािस्थित चयन में अवधारित किया जायेगा जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यह नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नित दोनों द्वारा की जाती है तो नाम नियम—17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेगें।

19. परिवीक्षा —

- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अविध को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक परिवीक्षा अविध बढ़ायी जायेगी।

 परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अविध छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।
- (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे सेवा से पृथक अथवा उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित, यथस्थिति, किया जा सकता है।
- (4) उपनियम (3) के अधीन यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से पृथक या प्रत्यावर्तित किया जाये. वह किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अविध में संगणना करने की अनुमित दे सकता है।

20. स्थायीकरण –

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की नियुक्ति को परिवीक्षा अविध या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अविध के अन्त में यथास्थिति, स्थायी कर दिया जायेगा, यदि —

- (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये,
- (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

21. ज्येष्टता –

सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथा—संशोधित सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात – वेतन इत्यादि

22. वेतनमान -

- 1. सेवा में किसी पद पर पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।
- 2. इस नियमावली के प्रारम्भ पर प्रवृत्त सेवा के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

23. परिवीक्षा अवधि में वेतन -

नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अविध बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अविध की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

भाग आठ – अन्य उपबन्ध

24. पक्ष समर्थन -

किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी अन्य संस्तुति पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

25. अन्य विषयों का विनियमन -

ऐस विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें, जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हैं।

26. सेवा शर्तों में शिथिलता -

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कितनाई होती हैं, वहाँ यह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिलुप्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम से अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व उस निकाय (आयोग) से परामर्श किया जायेगा।

27. व्यावृत्ति -

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनको सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

ओ0 पी0 आर्य प्रमुख सचिव

<u>परिशिष्ट</u> (देखिये नियम 4 (3), 5 (3) एवं 22 (2))

<u> </u>	· 			
क्र0स0	पद	पदों की	वेतनमान	भर्ती का स्रोत
		संख्या	4	
1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ लिपिक अ — खंडीय संवर्ग ब — मंडल कार्यालय संवर्ग स — मुख्य अभियन्ता कार्या० संवर्ग	241 48 20	3050-4590	नियमावली के भाग 3, प्रस्तर–5 के अनुसार
2-	वरिष्ठ लिपिक अ — खंडीय संवर्ग ब — मंडल कार्यालय संवर्ग स — मुख्य अभियन्ता कार्या० संवर्ग	236 48 22	4000-6000	अपने संवर्ग में ऐसे कनिष्ठ लिपिकों, जिन्होनें न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर, वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा
3-	विरिष्ठ सहायक अ — खंडीय संवर्ग ब — मंडल कार्यालय संवर्ग स — मुख्य अभियन्ता कार्या० संवर्ग	84 37 22	4500-7000	अपने संवर्ग में ऐसे वरिष्ठ लिपिकों, जिन्होनें न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा
4 - 5 -	मुख्य लिपिक (खंडीय कार्यालय हेतु) कार्यालय अधीक्षक	41	5000-8000	अपने संवर्ग में ऐसे वरिष्ठ लिपिकों, जिन्होनें न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा
5-	कायालय अधाक्षक अ — खंडीय संवर्ग ब — मुख्य अभियन्ता कार्या०	13 7	5000-8000	अपने संवर्ग के वरिष्ठ सहायकों, जिन्होनें न्यूनतम 15 वर्ष की

	संवर्ग			सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा
6-	प्रशासनिक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु)	5	5500-9000	मुख्य अभियन्ता कार्यालय संवर्ग के कार्यालय अधीक्षकों, जिन्होनें न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को
				छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 165/IX-1-Sin./2003, dated March 30, 2003 for general information:-

No. 165/IX-Sin./2003 Dated Dehradun, March 30, 2003

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Irrigation Department Uttaranchal Service of Ministerial Cadre.

IRRIGATION DEPARTMENT, UTTARANCHAL SERVICE OF MINISTERIAL CADRE (GROUP 'C') RULES, 2003

Part I - General

1. Short title and Commencement -

- (1) These rules may be called the "Irrigation Department, Uttaranchal Service of Ministerial Cadre (Group 'C') Rules, 2003".
- (2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service –

The Irrigation Department Uttaranchal Service of Ministerial Cadre is a State service comprising Group "C" posts.

3. Definitions -

In these rules unless there is anything repugnant in the subject of context –

- (a) "Appointing authority" means the an officer dully authorized by the competent authority to male such an appointment;
- (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a Citizen of India under Part-Ii of the Constitution;
- (c) "Committee" means such a selection committee formed by the competent authority;
- (d) "Constitution" means the Constitution of India;
- (e) "government" means the State Government of Uttaranchal
- (f) "Governor" means the Governor of Uttaranchal
- (g) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the respective cadre of the Service;
- (h) "Service" means the Uttaranchal Service of Ministerial Cadre (Irrigation Department);
- (i) "Substantive appointment" means an appointment not being on adhoc appointment on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.
- (j) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year;
- (k) "Circle" means the office of Superintending Engineer of Irrigation Department;

(I) "Division" means the office of Executive Engineer of Irrigation Department.

Part II - Cadre

- 4. Cadre of the Service -
 - (1) There shall be Three Cadres of the Service
 - (A) Chief Engineer's Office Cadre
 - (B) Circle Office cadre
 - (C) Divisional Office cadre
 - (2) The strength of the Service in each cadre and number of posts of various categories therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
 - (3) The strength of the Service in each cadre and number of posts of various categories therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix Provided that
 - (i) The Governor may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.
 - (ii) The Governor may create such additional permanent or temporary post as he may consider proper.

Part III - Recruitment

5. Source of Recruitment -

Recruitment to the posts of Junior Clerk in the Service shall be so arranged that –

- (1) 80% posts are filled in by inviting the application directly from the candidates who are enrolled in District Employment Exchange of Uttaranchal.
- (2) 15% posts are filled in by promotion from Class 'D' employees of Irrigation Department, who possess the academic qualification of High School or equivalent and are otherwise eligible.
- (3) 5% posts are filled in by promotion from Class 'D' employees of Irrigation Department, who possess the academic qualification of Intermediate or 10+2 examination or equivalent and otherwise eligible.

(4) Rest of the posts of service shall be filled in by promotion from the sources specified in column-5 of the appendix.

6. Reservation

Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Part IV- Qualifications

7. Nationality

A Candidate for direct recruitment to a post in the service must be –

- (a) A citizen of India, or
- (b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India or,
- (c) A person of India origin as migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (for merely Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging in category (b) or (c) above must be a person in whose favours in certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence "Branch, Uttaranchal:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more that one year and the retention of such a candidate in service be join a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note – a candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic Qualification

- (1) A candidate for direct recruitment to the post of Junior Clerk must possess a minimum academic qualification of intermediate or 10+2 or equivalent.
- (2) The candidate should have a minimum speed of typing in Hindi (Devnagari Script) of 25 words per minute.

9. Preferential Qualification

- (1) A candidate having knowledge of English typing/computer operating shall be given preference having other qualification equal.
- (2) A candidate who has served in the territorial army for a minimum period of two years, or obtained a "B" certificate on National Cadet Crops shall, other tings equal be given preference to the matter of direct recruitment.

10. Age--

(1) A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day or July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertisement by the Department:

Provided that the upper age- limit in the case of candidates belongings to the scheduled Castes, scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

(2) Any such departmental candidate who applies for the direct recruitment to post of junior Clerk shall be given relaxation in age equal to the period of his service completed.

11 Character--

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service.

Note -- Persons dismissed by the Union Government or a State Government by Local Authority or a corporation or Body owned or controlled by the Union Government State Government shall be ineligiblo for

appointment to any post in the Service. Persons convicted an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12 Marital Status--

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so exempt any person from the operation of the rule.

13 Physical /Fitness --

No candidate shall be appointed to post in the service unless he be in goods mental and badly health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required fitness certificate chief Medical Officer.

Provided that a medical certificate medical of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part V—Procedure for Recruitment

14 Date of determination of Vacancies --

The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for a candidates belonging to Schedule castes / Scheduled Tribes and other categories under rules 6.

15 Procedure for Direct Recruitment--

(1) In order to fill in the vacancies of junior clerk under the service, the Head of the Department shall constitute a Committee as follows for conducting competitive examination / Interview of the candidates:-

(a) Superintending Engineer (Karmik) - Chairman

(b) Executive Drafting - Member

(c) An officer belonging to Scheduled

Caste / Tribe - Member

- (2) For Direct recruitment the Chairman of the Committee shall invite their applications, by publishing the advertisement in the newspaper, from such candidates whose names are enrolled the office of District Employment Exchange of Uttaranchal.
- (3) If recruitments are to be made by promotion of the employees of class "D' of Irrigation Department under sub- Clauses 5 (2) & (3) the chairman of the Committee shall invite the applications though proper channel from the eligible candidates.
- (4) The committee shall conduct written test / Interview of the candidates belonging to sub clause (2) & (3) above separately in the following subjects.

(A) General Knowledge - 15 Marks

(B) Hindi Drafting - 15 Marks

(C) Hindi Typing - 15 Marks (D) Interview - 05 Marks

Total - 50 Marks

(5) The committee shall prepare a list the order of merit according to the marks obtained by the candidates in written test and interview and submit the list to the Head of Department keeping the number of candidates equal to the vacancies. In case of two or more candidates obtaining equal marks in total the name of the candidate obtaining more marks in written test shall kept at higher merit in the list.

16 Procedure of Recruitment by promotion.

(1) For the recruitment by promotion to all the posts of the Service, a committee shall be constituted by the Head of Department as follows:-

(i) Chief Engineer in charge of the

Establishment - Chairman

(ii) Senior Staff Officer (H.O.D.) - Member

(iii) Superintending Engineer (Karmik) - Organizer

(iv) An officer belonging to Scheduled

Caste / Tribe - Member

- (2) The organizer shall prepare a list according to the seniority of the candidates and submit it along with the character rolls and such other documents witch are considered necessary to the Selection Committee for considering the promotion.
- (3) The Committee shall consider the names according to the documents submitted under sub-clause (2) above and select the candidates for promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit.
- (4) The committee shall prepare a list of the selected candidates in accordance with the seniority and submit to the Head of Department.

17 Combined Select List -

(1) If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

The persons promoted from the feeding cadre having higher pay scale shall be senior to the persons promoted from feeding cadre having lower pay scale.

Part VI—Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

18. Appointment:-

On the availability of vacancies for substantive post the appointing authority shall appoint the candidates in the following manner:-

- (1) For new appointment the candidates appearing in the list prepared under clause 15 (5) shall be allocated of the Chief Engineer's cadre, Circle cadre and division cadre respectively on the basis of merit by the Head Department.
- (2) The authority for appointment / promotion /posting shall be the Head of the Department in case of Chief Engineer's Carder & Circle cadre and Superintending Engineer in case of divisional cadre.
- (3) Where in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selection are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with Rule 17 above.

(4) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in orders of seniority as determined in the selection or as it stood in the cadre from which they are promoted, as the case may be if the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order refereed to in Rule 17 above.

19. Probation:-

- (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year.
- (2) The appointing authority may for reasons to be recoded extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:
 - Provided that in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.
- (3) If it appears to the appointing authority, at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient used of his opportunities or has otherwise not given satisfaction, he be removed to substantive post, if any and if he is not holding a lien or any post his services may be dispersed with.
- (4) A probationer who is revolved or whose are dispensed with under subrule (3) above shall not be entitled to any compensation.

20. Confirmation:-

A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if —

- (a) his work and conduct is reported to be satisfactory.
- (b) his integrity is certified; and
- (c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

21. Seniority:-

The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Government Servant Seniority Rules as amended from time to time.

Part VII — Pay etc.

22. Scale of Pay:-

- (1) The scales of pay admissible to a person appointed to a post in the cadre of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The scales of pay prevailing at the beginning of these rules are shown in Appendix.

23. Pay during Probation:-

Notwithstanding any provision in the Rules to the country a person on probation, if he is not already in permanent Government Services, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

Part VIII — Other Provisions

24. Canvassing:-

No recommendation either written or oral other than those required under the rules application to the post or services will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

25. Regulation of Other Matters:-

In regard to the matters not specifically covered by their rules of special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and others applicable generally to Government Servant serving in correction with the affairs of the state.

26. Relaxation from the conditions of Service:-

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the condition of service of persons appointed to the service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may in consultations with commission notwithstanding any things contained in the rules applicable to be case by order dispersed with or relax, the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

27. Savings -

Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regards.

By Order,

O. P. ARYA, Principal Secretary

<u>Appendix</u>

[(See Rule 4 (3), 5 (3) and 22 (2)]

	[(See Rule 4 (3), 5 (3) and 22 (2)]					
SI	Name of post	No.	Pay	Source of Recruitment		
No.		of	Scale			
		Posts				
1	2	3	4	5		
1.	Junior Clerk					
	A – Divisional Office Cadre	241		As per part -3, Clause -5		
	B - Circle Office Cadre	48	3050-			
			4590			
	3 - Chief Engineer Office	20				
	Cadre					
2-	Senior Clerk					
	A – Divisional Office Cadre	236		By promotion on seniority,		
	B – Circle Office Cadre	48	4000-	subject to rejection of		
			6000	unfit, of such Junior Clerk		
	3 - Chief Engineer Office	22	0000	who has completed the 5		
	Cadre			year of service in		
	Gaure			respective cadre		
				respective caure		
3-	Senior Assistant					
3-	A – Divisional Office Cadre	84		Dy promotion on conjective		
			4500	By promotion on seniority,		
	B – Circle Office Cadre	37	4500-	subject to rejection of		
	Objet Frankson Office	00	7000	unfit, of such Senior Clerk		
	3 – Chief Engineer Office	22		who has completed the		
	Cadre			10 year of service in		
				respective cadre		
4-	Head Clerk					
	(For Divisional office)	41	5000-	By promotion on seniority,		
			8000	subject to rejection of		
				unfit, of such Senior		
				Assistant who has		
				completed the 15 year of		
				service in respective		
				cadre		

5-	Office Superintendent			
	A – Circle Office cadre	13	5000- 8000	By promotion on seniority, subject to rejection of
	B – Chief Engineer Office Cadre	7		unfit, of such Senior Assistant who has completed the 15 year of service in respective cadre
6-	Administrative Officer			
	(For Chief Engineer office)	5	5500- 9000	By promotion on seniority, subject to rejection of unfit, of such Office Superintendent of Chief Engineer cadre who has completed the 20 years.